LALITPUR POLICE

प्रेस नोट

दिनांक- 10.06.2025

थाना महरौनी पुलिस व स्वाट, जनपद ललितपुर की संयुक्त टीम द्वारा 25000/- रूपये के इनामियां 01 नफर वाछिंत अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया घायल/गिरफ्तार।
अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल, 02 अदद अवैध जिन्दा कारतूस व 01 अदद अवैध खोखा कारतूस बरामद।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं श्रीमान् पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देश के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी महरौनी, श्री रक्षपाल सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के क्रम में घटना के सफल अनावरण हेतु थाना महरौनी ललितपुर पुलिस व स्वाट/ सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना महरौनी/कोतवाली ललितपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- मु0अ0सं0- 205/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/119(1) BNS व मु0अ0सं0- 582/2025 धारा 262 BNS में वांछित 25 हजार रूपये के इनामिया अभियुक्त विसदेव पुत्र पप्पू आदिवासी उम्र करीब 23 वर्ष नि0 न्यू बस स्टैण्ड टीकमगढ़ थाना व जिला टीकमगढ़ म0प्र0, हाल निवासी कंचनपुरा कस्बा व थाना महरौनी जनपद ललितपुर को पुलिस मुठभेड के दौरान नियमानुसार गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 19.05.2025 को वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना महरौनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर, विधिक कार्यवाही प्रचलित की गयी थी।

मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त विषदेव उपरोक्त को थाना महरौनी पुलिस द्वारा नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय, महरौनी में पेश किया गया था।

बाद रिमाण्ड मा0 न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त विषदेव उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा हेतु जिला कारागार ललितपुर में दाखिल करने के लिए मा0 न्यायालय परिसर , महरौनी से पुलिस अभिरक्षा में ललितपुर लाया जा रहा था, कि जैसे ही पॉवर हाउस गल्ला मण्डी ललितपुर के पास, पहुँचने पर अभियुक्त विषदेव उपरोक्त अचानक पुलिस को धक्का देकर मौके से भाग गया था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 04 पुलिस टीमे जिसमें थाना महरौनी ललितपुर पुलिस, स्वाट/सर्विलांस टीम व अन्य थानों की पुलिस को लगाया गया था तथा अभियुक्त विषदेव उपरोक्त के ऊपर 25000/- रूपये का इनाम घोषित किया गया था। गठित टीमों द्वारा उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु कई सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गयी। सर्विलांस व अन्य धरातलीय सूचना की मदद से अभियुक्त विषदेव उपरोक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल/गिरफ्तार किया गया।

पुलिस मुठभेड़ का विवरण- आज दिनांक 09.06.2025 को थाना महरौनी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि इनामिया अभियुक्त विषदेव आदिवासी ग्राम पठाविजय पुरा से ग्राम छपरट वाले रास्ते से होते हुये अपने परिवारीजन से मिलने जा रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुचनें पर गाडियो की रोशनी में एक व्यक्ति पैदल आता हुआ दिखायी दिया। पुलिस टीम को देखने पर उक्त व्यक्ति झाडियों की तरफ भागा। भागने पर पुलिस टीम द्वारा व्यक्ति को रूकने के लिए कहा गया उक्त व्यक्ति द्वारा अपने आप को पुलिस से घिरा समझकर जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में जबाबी फायरिंग की गयी जिसमें अभियुक्त विषदेव उपरोक्त के पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही जमीन पर गिर गये जिसे पुलिस द्वारा नियमानुसार हिरासत में लेकर, गोली लगने से घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल,ललितपुर भेजा गया था।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त से पूछताछ करने पर, अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि साहब दिनांक 18.05.2025 को मेरा पडोसी से झगणा हो गया था जिसमें मेरे द्वारा विपक्षी के साथ मारपीट की गयी थी। जिसमें विपक्षी द्वारा थाना महरौनी पर मेरे विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त मुकदमें में थाना महरौनी पुलिस द्वारा मुझे गिरफ्तार कर जिला कारागार लाया जा रहा था जैसे

ही पॉवर हाउस गल्ला मण्डी ललितपुर के पास, पहुंचे तभी मैं पुलिस को धक्का देखकर मौके से भाग गया था और पुलिस के पकड़े जाने की डर से छिपकर रह रहा था। साहब मैं आज अपने परिवारीजन से मिलने ग्राम छपरट वाले रास्ते से जा रहा था तभी आपने मुझसे रूकने के लिये कहा तो पकडे जाने के डर से मेरे द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा की गयी जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लग गई थी और घायल होकर जमीन पर गिर गये थे। पुलिस टीम द्वारा हम लोगों को पकडकर उपचार हेतु जिला अस्पताल ललितपुर, भिजवाया गया था। साहब हमसे गलती हो गयी, मांफ कर दीजिए।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

01. विसदेव आदिवासी पुत्र पप्पू आदिवासी उम्र करीब 23 वर्ष नि0 न्यू बस स्टैण्ड टीकमगढ़ थाना व जिला टीकमगढ़ म0प्र0, हाल निवासी कंचनपुरा कस्बा व थाना महरौनी जनपद ललितपुर।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल मय मैगजीन, 02 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 7.65MM व 01 अदद अवैध खोखा कारतूस बरामद।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1.-मु0अ0स0 59/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना महरौनी
2.मु0अ0सं0 73/24 धारा 3/25 ए. एक्ट थाना महरौनी
3.-म0अ0सं0 580/2019 धारा 4/ 25 ए एक्ट थाना कोतवाली ललितपुर
4.- मु0अ0सं0 672/2021 धारा 395/397/412 भादवि थाना कोतवाली ललितपुर
5.- मु0अ0सं0 582/2025 धारा 262 बी0एन0एस0 थाना कोतवाली ललितपु
6. मु0अ0सं0 205/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/119(1) BNS थाना महरौन
7. मु0अ0सं0 246/2025 धारा 109 BNS (पुलिस मुठभेड)/3/25A ACT थाना महरौनी

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम-</u>

1.श्री रक्षपाल सिंह क्षेत्राधिकारी महरौनी ललितपुर।
2.श्री विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना महरौनी मय टीम।
3. प्रभारी, स्वाट टीम ललितपुर मय टीम।

नोट- पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25000/- रूपये के नगद पुरस्कार से पुरष्कृत किया जायेगा।